

तारीख हुक्म

19/01/23

बकुलाए फरीकेन उप. पो. बोलानी भविका. 23223
में बकाए हो पत्रवाली पूर्वानुसार दिनांक...
को पेश हो।

20/23

बकुलाए फरीकेन उप. पो. बोलानी भविका. 23223
में बकाए हो पत्रवाली पूर्वानुसार दिनांक...
को पेश हो।

20/3/23

बकुलाए फरीकेन उप. पो. साहब
पत्रवाली वास्ते पूर्वानुसार
दिनांक 20.4.23 को पेश हो।

8/6/2023

पत्रवाली कैंप शगतपुरा में पेश हुई वादी
करादीप सिंह पुत्र गुरलाल सिंह द्वारा
प्रस्तुत वादपत्र संदर्भित 188 RTA में
वादकथन किल्लू प्रतिवादी गण कुलदीप
सिंह एवं हरदीप सिंह सि. केहर सिंह के
अनुमोदना चाहा गया कि चक PNTW के
प. नं. 181/161 पु. नं. 10 के कि. नं. 18 व 23
में अक्षर कलजा करते एवं रास्ते के विधान
बनाकर वादी फसल को नष्ट कर शांतिपूर्ण
कलजा काश्त में घुसने से ममनू रहे।
वाद के विचारों के दौरान प्रतिवादी
द्वारा कोई तबाबू दावा पेश नहीं किया
गया एवं ना ही कोई अनुमोदना चाहे वाकफ
कोई कार्यवाही की गई।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

प्रतिवादी के कोविड प्रार्थना पत्र
को उनके के सिलेन 212-RTA के प्रार्थनापत्र
में जुता जा चुका है। प्रतिवादी गण के किल्लू
वादी का वाद पत्र रास्ते के करान को लेकर
आशंका बंध दापर किया गया है।
वादी का वाद पत्र खीसर किया
जसा है तथा प्रतिवादी को किल्लू इस
आदेश का आदेश पालित किया जाता है
कि वे वादी के कलजा काश्त में पकल
अंदाजी नहीं करे। यदि प्रतिवादी चाहे
तो एप्रोच रास्ते से धारा 251-A RTA के
अनुच्छेद 2 के आवेदन कर, निवृत्तनी जात
में से बकर रास्ते की मंजूर करे।

Handwritten notes and signatures at the bottom right corner.